

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजकीय माध्यमिक विद्यालय दरुडा
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

नखताराम पुत्र केवलाराम जाति
मेघवाल निवासी दरुडा, तहसील एवं
जिला बाड़मेर।

1.सिदाराम पुत्र रूपाराम 2. नुकलाराम
पुत्र रूपाराम 3. खेराजाराम पुत्र
शिवजीराम 4. किरताराम पुत्र
शिवजीराम 5. उगीदेवी पुत्री शिवजीराम
6.केकुदेवी पत्नि शिवजीराम 7.
लहरीदेवी पत्नि खीमाराम 8. केवल पुत्र
वस्ताराम 9. मोड़ा पुत्र वस्ताराम 10.
तोगाराम पुत्र द्वारकाराम जातियान
मेघवाल निवासी मारुडी तहसील व
जिला बाड़मेर 11. भमरा पुत्र द्वारका
12. शंकरा पुत्र द्वारका 13. गोस्धन
पुत्र द्वारका 14. देशलाराम पुत्र
पुनमाराम 15. शंकराराम पुत्र
पुनमाराम 16. छगनलाल पुत्र
गेमराराम 17. लीलाराम पुत्र
गेमराराम जातियान मेघवाल
निवासीगण दरुडा, तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-274/2019 दिनांक-27.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दरुडा, पटवार मण्डल मारुडी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 481/103 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर
दिनांक- 27/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6465-6468

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पार्वानार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मारुडी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नखताराम पुत्र केवलाराम जाति मेघवाल निवासी दरुडा, तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी सिदाराम पुत्र रूपाराम वगैरा जाति मेघवाल निवासी मारुडी/दरुडा, तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर